

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यावाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामीर में जारी हुए</p>
<p>27/13</p>	<p>पत्रावली आजपेश हुई उभयपक्ष इफ्त लन कीयात विन्त प्रकार से कायम की जाकर इस प्रकार विवचित की गया</p> <p>1. आया वादी अराफी ख स 72/229 रकबा 0.06 हेक्टर गाँव डीडायच से प्रतिवादी सण 1 सण 6 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द कराने का आधार है। वादी</p> <p>2. अन्य अनुतोष</p> <p>पत्रावली लोक अदालत की आवना से विस्वारण हेतु आगामी तारीख पेशी कोर्ट के डीडायच 15.6.16 को पेश होगी</p>	<p><i>[Handwritten signature]</i></p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p>
<p>15/18</p>	<p>पत्रावली न्याय आर्षिके द्वार-अधियात -2018 के अन्तर्गत अधिसूचित लोक अदालत के मय कोर्ट अटलसिवा केन्द्र डीडायच पेश हुई उभयपक्ष उपस्थित प्रतिवादी सण 3, 4, 7 ने स्वयं उपस्थित हो शर्तों जरिये अधिवक्ता उपस्थित हो गाँव डीडायच स्थित खस 72/229 पर वादी का कब्जा होने के आधार पर स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने वाकल अपनी जनापति प्रस्तुत की। अतः उभयपक्षकारान की सहमति के आधार पर प्रतिवादी सण 1 लगायत 6 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे गाँव डीडायच स्थित खस 72/229 रकबा 0.06 हे के उपयोग व उपयोग में किसी प्रकार की बाधा नवी स्वयं उत्पन्न करे ना किसी अन्य से उत्पन्न करावे। प्रतिवादी सण 7 से व मिल अधियात का सहकार्यदार काराकार होने से वादी द्वारा उसके विरुद्ध अनुतोष नहीं चाहे जाने से उन्हें दिरु कोई अनुतोष नहीं दिया जाता वो खस 72/229 रकबा 0.06 का उपयोग उपभोग पूर्व की शर्तों करने के लिए स्वतंत्र होंगे। पत्रावली जसल शुमार हो रफ नम्बर से हुकम हो।</p>	<p>पुत्र लाल मनीष</p> <p>मुकेश कुमार शर्मा</p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p>